

यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री श्रवणसिंह राजावत, आर.ए.एस

क्र. रीडर/2024/ 4671

दिनांक - 31.07.24

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 जानाराम 2 लक्ष्मणराम 3 सोनाराम 4 चेतनराम पिसरान दलाराम जाति कुम्हार निवासी ईश्वरपुरा, भादरेश तहसील व जिला बाड़मेर।

1 अर्जुनदान पुत्र शंकरदान 2 किरतुरी पत्नी मुरारदान 3 माधुदान 4 हेतुदान पिसरान शंकरदान 5 हेतुदान पुत्र हडूदान 6 जीवनदान 7 भंवरदान पिसरान लाधुदान 8 पदमा पत्नी लाधुदान जाति चारण 9 कुंभाराम 10 खेराजराम पिसरान भूराराम 11 धनाराम पुत्र मोतीराम 12 नीम्बाराम 13 पीराराम 14 बाबुराम 15 रेखाराम पिसरान खुमाराम 16 रूपों पत्नी भूराराम 17 सुखाराम 18 गंगाराम 19 रतनाराम 20 हेमाराम पिसरान मघाराम जाति जाट निवासी कामोईपुरा, भादरेश तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 301/2022

दिनांक- 25.07.2024

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मौजा कामोईपुरा पटवार हल्का भादरेश तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 217/207 रकबा 4.3625 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व फथरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मन्तव्य) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(श्रवणसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्र. रीडर :- रीडर/2024/ 4672-75

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

दिनांक- 31.07.24

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भादरेश तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी जानाराम पुत्र दलाराम वगैराह जाति कुम्हार निवासी भादरेश तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी अर्जुनदान पुत्र शंकरदान वगैराह निवासी कामोईपुरा, भादरेश तहसील व जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर